

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.17(8)राभ / 2007 / पार्ट / ८८३

दिनांक: ०१ नवम्बर, 2017

सीमित निविदा विज्ञप्ति

राजभवन जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व फुलवारी एवं पौधों की सुरक्षा कार्य के लिए दरें/निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 06.11.2017 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 06.11.2017 को अपरांह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत रु. 01.20 लाख है।

इच्छुक फर्म दिनांक 01.11.2017 अपरांह 02.00 बजे से बोली प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

४
(अरविन्द सारस्वत)
उप सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक: प.17(8)राभ / 2007 / पार्ट / ८८४

दिनांक: ०१ नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
- 2 श्री विजय सिंह प्रोग्रामर, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, को राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
- 4 रक्षित पत्रावली

४
उप सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

प्रेषक :-

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान,
राजभवन, जयपुर।

सीमित बोली प्रपत्र

राजभवन जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व फुलवारी एवं पौधों की पक्षियों से
सुरक्षा कार्य के लिए श्रमिक सप्लाई दरों बाबत।

बोलीदाता का नाम:-

पता:-

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति श्रमिक प्रति माह रूपये
1.	फुलवारी एवं पौधों की पक्षियों से सुरक्षा कार्य, संस्थापन शाखा व लेखा शाखा में पत्रावलियां आदि लाने व ले जाने का कार्य	

दिनांक:

बिडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

निविदा की शर्तें

कार्य का नाम:- राजभवन जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व फुलवारी एवं पौधों की पक्षियों से सुरक्षा कार्य के लिए श्रमिक सप्लाई दरों बाबत ।

1. इस कार्य की अवधि अनुबन्ध दिनांक (नवम्बर 2017)से फरवरी 2017 होगी ।
2. राजभवन में उक्त कार्य हेतु आवश्यक श्रम शक्ति उपलब्ध करानी होगी ।
3. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा ।
4. कार्यपरान्त संबंधित अधिकृत अधिकारी से कार्य प्रमाणित कराने के आधार पर प्रतिमाह आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा ।
5. कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी राजभवन कार्यालय से ली जा सकती है ।
6. निविदा प्रपत्र सीलबद्ध लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा । निविदा डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी । निविदा दर सिर्फ स्थाही से भरी जावे उसमें कोई काट-छांट ना हो । किसी प्रकार के सुधार पर अपने लघु हस्ताक्षर करें ।
7. यदि अनुमोदित ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा ।
8. ठेकेदार ठेके को या उसके किसी भाग को अन्य किसी ठेकेदार/ संस्था को नहीं देगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा ।
9. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है ।
10. ठेका संबंधी समस्त पत्राचार उप सचिव, राजभवन राजस्थान जयपुर, के नाम करना होगा । ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी ।
11. उक्त ठेके के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा ।
12. राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर लागू नियमों की पालना करनी होगी ।

विडदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर